रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 88] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 11, 1974/चैत्र 21, 1896

No. 88] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 11, 1974/CHAITRA 21, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICES

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 11th April 1974

SUBJECT.—*Import of Fruits, dried, salted or preserved n.o.s. excluding Dates [S. No. 21(a)(ii)/IV] from Afghanistan from 1st March, 1973 to 28th February, 1974.*

No. 52-ITC(PN)/74.—Attention is invited to paragraph 2(iii) of the Ministry of Commerce Public Notice No. 18-ITC(PN)/74, dated the 2nd February, 1974, wherein the period for completion of counter-imports against exports, as laid down in para 17(1) of the Ministry of Commerce Public Notice No. 176-ITC(PN)/73, dated 27th October, 1973, was deemed to have been changed to six months from the date of export or upto 31s August 1974, whichever was earlier.

2. It has now been decided to entertain applications upto 31st May, 1974 for issue of CCPs for import of dry fruits from Afghanistan for purposes of counter-imports against exports already effected to Afghanistan upto 28th February, 1974, under the "Export First" Scheme.

3. It may be clarified that CCPs issued in terms of this Public Notice, will be valid for three months from the date of issue or upto 31st August, 1974, whichever

is earlier. Other terms and conditions, as laid down in the Ministry of Commerce Public Notice No. 176-ITC(PN)/73, dated 27th October, 1973, as amended, will apply *mutatis-mutandis*.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचनाएं

आयात व्यापार नियन्त्रण

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 1974

विषय.—1-3-1973 से 28-2-1974 तक अफगानिस्तान से खजूरों [क्रम सं० 21 (ए) (2)/4] को छोड़ कर जो अन्यत्र विशिष्टकृत नहीं हैं सूखे, नमकीन या परिरक्षित फलों का आयात।

सं० 52-आई० टी० सी० (पी० एन०)/74.—वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 18-आई०टी०सी० (पी०एन०)/74 दिनांक 2 फरवरी, 1974 की कंडिका 2(3) की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 176-आई० टी० सी० (पी० एन०)/73 दिनांक 27 अक्तूबर, 1973 की कंडिका 17(1) में यथा निर्धारित निर्यातों के मद्दे प्रति-आयातों को पूरा करने के लिए अवधि को निर्यात तिथि से या 31-8-1974 तक इनमें जो भी पहले थी उससे 6 मास तक के लिए परिवर्तित किया गया समझा गया था।

2. यह निश्चय किया गया है कि "प्रथम निर्यात" योजना के अन्तर्गत, 28 फरवरी, 1974 तक अफगानिस्तान को कर लिए गए निर्यातों के मुद्दे प्रति-आयातों के प्रयोजनार्थ अफगानिस्तान से सूखे फलों के आयात हेतु सीमा-शुल्क निकासी परमिटों को जारी करने के लिए 31 मई 1974 तक किए गए आवेदन पत्रों पर विचार किया जाए।

3. यह स्पष्ट कर लिया जाए कि प्रस्तुत सार्वजनिक सूचना के अनुसार जारी किए गए सीमाशुल्क निकासी परमिट जारी करने की तारीख से या 31 अगस्त 1974 तक इनमें जो भी पहले हो, से 3 मास के लिए वैध होंगे। यथा संशोधित वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 176-आई० टी० सी० (पी०एन०)/73 दिनांक 27 अक्तूबर, 1973 में यथा निर्धारित अन्य नियम तथा शर्तें आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगी।

SUBJECT.—*Import of (i) Fresh Fruits, all sorts, excluding coconuts, cashewnuts and Dates (S. No. 21(a)(i)/IV), (ii) Asafoetida (Hing) S. No. 31(b)/V, (iii) Cumin seeds (S. No. 37/IV) and (iv) Medicinal herbs (S. No. 37-109/IV) from Afghanistan and counter-export of goods from India, under Indo-Afghan Trade Arrangement, 1973-74 (1st March, 1973 to 28th February, 1974).*

No. 53-ITC(PN)/74.—Attention is invited to paragraph 13(1) of the Ministry of Commerce Public Notice No 129-ITC(PN)/73, dated the 8th August, 1973 and Paragraph 14(1) of the Ministry of Commerce Public Notice No. 194-ITC(PN)/73, dated the 16th November, 1973, in terms of which, CCPs for import of the aforesaid items from Afghanistan were to be granted subject to the condition that the licensee shall expor to Afghanistan the goods in Schedules B-I and B-II of a value equal to the value of imports, within a period of six months from the date of import or upto 28th February, 1974, whichever was earlier.

2 On a review of the position and in partial modification of the aforesaid Public Notices, it has been decided to extend the last date for fulfilment of the counter-export obligation upto 31*st August* 1974, for the limited purpose of counter balancing the imports that have already been effected from Afghanistan upto 28th February, 1974, in terms of the aforesaid Public Notices.

S. G. BOSE MULLICK,
Chief Controller of Imports & Exports.

विषय.—भारत-अफगान व्यापार व्यवस्था 1973–74 (1–3–1973 से 28–2–1974 तक) के अन्तर्गत अफगानिस्तान से (1) नारियल, काजू तथा खजूरों को छोड़ कर सभी प्रकार के ताजे फलों [क्रम सं० 21 (ए) (1)/4], (2) हींग (हींग) क्रम सं० 31 (बी)/5, (3) जीरा बीज (क्रम सं० 37/4) तथा (4) औषधीय बूटियों (क्रम सं० 87–109/4) का आयात और भारत से माल का प्रति-निर्यात।

सं० 53—आई० टी० सी० (पी०एन०)/74.—वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 129-आई टी सी (पीएन)/73 दिनांक 8 अगस्त, 1973 की कंडिका 13(1) और वाणिज्य की सार्वजनिक सूचना सं० 194–आईटीसी (पीएन)/73 दिनांक 16 नवम्बर, 1973 की कंडिका 14 (1) की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार अफगानिस्तान से उपर्युक्त मदों के आयात के लिए सीमाशुल्क निकासी परमिट इस शर्त के अधीन स्वीकृत किए जाने थे कि लाइसेंस धारी आयात की तारीख से 6 मास के भीतर या 28–2–74 तक इनमें जो भी पहले हो अनुसूची बी-1 तथा बी-2 में उल्लिखित माल का, आयातों के मूल्य के बराबर मूल्य का अफगानिस्तान को निर्यात करेगा।

2. स्थिति की पुनरीक्षा करने पर और उपर्युक्त सार्वजनिक सूचनाओं में आंशिक आशोधन करने पर यह निश्चय किया गया है कि उपर्युक्त सार्वजनिक सूचनाओं की शर्तों के अनुसार 28 फरवरी, 1974 तक अफगानिस्तान से पहले ही कर लिए गए आयातों को प्रति-संतुलित करने के सीमित प्रयोजन के लिए प्रति-निर्यात दायित्वों को पूरा करने की अन्तिम तिथि को बढ़ा कर 31 अगस्त, 1974 कर दिया जाए।

एस० जी० बोस मल्लिक,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974